30 अप्रैल, 2020 सरकारी आदेश 2020-33

कोविड-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश
कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या. 31)

जबकि, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

जबकि, कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) एक नया गंभीर और विकट श्वसन रोग है, जो सांसों के माध्यम से लोगों में फैल गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने 30 जनवरी, 2020 को COVID-19 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता करने योग्य सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, और संयुक्त राज्य स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव (United States Secretary of Health and Human Services) ने 27 जनवरी, 2020 को घोषणा की कि COVID-19 एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति प्रस्तुत करता है; और

जबकि, चूंकि विषाणु यानि वायरस, संपूर्ण इलिनॉय में फैल चुका है, अतः राज्य के सामने मौजूद संकट विकसित हो चुका है और अब इसके लिए यह सुनिश्चित करने हेतु एक विकासशील प्रतिक्रिया आवश्यक है कि अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता लगातार अद्यतित किए जा रहे CDC मार्गदर्शन के अनुरूप ढंग से सभी इलिनॉय वासियों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो सकें; और

जबकि, मैंने 30 अप्रैल, 2020 को इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया था क्योंकि इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार से संबंधित वर्तमान परिस्थितियां, जिनमें संपूर्ण राज्य के लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर विनाशकारी प्रभाव, अस्पताल शैया, ICU शैया, वेंटिलेटरों और PPE की संकटकारी कमी, और कोविड-19 (COVID-19) परीक्षण क्षमता बढ़ाने की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता, एक वैश्विक महामारी आपातकाल एवं एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का गठन करती हैं; और,

जबकि, ऊपर वर्णित महामारी आपातकालीन और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के जवाब में, मुझे कार्यकारी आदेश 2020-03, 2020-04, 2020-05, 2020-06, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-13, 2020-14, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-19, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020 -24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30 और 2020-31, को फिर से जारी करना आवश्यक पाता हूं, और उन कार्यकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्द्वारा समाविष्ट करता हूं;

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7 (1), 7 (2), 7 (3), 7 (8), 7 (9), और 7 (12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं 30 अप्रैल, 2020 से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

भाग 1: कार्यकारी आदेशों को पुन: जारी करना।

एतद्द्वारा कार्यकारी आदेशों 2020-03, 2020-04, 2020-05, 2020-06, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-13, 2020-14, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-19, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, और 2020-31 को इस कार्यकारी आदेश 2020-33 द्वारा निम्नवत पुनः जारी किया जाता है:

कार्यकारी आदेश 2020-04 (जेम्स आर. थॉम्पसन (James R. Thompson) केंद्र की बंदी; राज्य कर्मचारियों के लिए रुग्णता अवकाश आवश्यकता का अधित्याग):

कार्यकारी आदेश 2020-04 के अनुभागों 2 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-05 एवं 2020-06 (स्कूलों की बंदी):

कार्यकारी आदेश 2020-05 एवं 2020-06 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किए जाते हैं एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाए जाते हैं।

कार्यकारी आदेश 2020-07 (रेस्त्राओं और मदिरालयों (बार) के ़ परिसर में खान-पान का स्थगन; बेरोज़गारी बीमा; सार्वजनिक सभा अधिनियम (ओपन मीटिंग्स एक्ट):

कार्यकारी आदेश 2020-07 के अनुभागों 1, 3, 4, 5 और 6 को जैसा कि निम्न में संशोधन किया गया है, पुनः जारी किया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

अनुभाग 6. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन की अवधि के दौरान, और 29 मई, 2020 तक एक सार्वजनिक निकाय के सदस्यों द्वारा इन-पर्सन अटेंडेंस की आवश्यकता या संबंधित, ओपन मीटिंग्स एक्ट, 5 ILCS 120 के प्रावधान निलंबित हैं। विशेष रूप से, (1) 5 ILCS 120 / 2.01 में आवश्यकता है कि "एक सार्वजनिक निकाय के सदस्यों को शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए" निलंबित है; और (2) 5 ILCS 120/7 में स्थितियां, जब दूरस्थ भागीदारी की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। इलिनॉय वित्त प्राधिकरण अधिनियम (फ़ाइनेंस अथॉरिटी एक्ट) का यह उपबंध कि "[स]भी बैठकें राज्य के अंदर केवल एक स्थान पर, उस स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित गणपूर्ति (कोरम) सदस्यों के साथ संचालित की जाएंगी," 20 ILCS 3501/801-25, 29 मई, 2020 तक स्थगित किया जाता है। इलिनॉय प्रशासनिक संहिता (एडमिनिस्ट्रेटिव कोड) का यह उपबंध कि गुप्त वहन अनुज्ञापन समीक्षा बोर्ड (कन्सील्ड कैरी लाइसेंसिंग रीव्यू बोर्ड) की ऐसी बैठक जो तब के लिए जब "आयुक्त (कमिश्नर) टेलीफोन से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भाग ले सकते हैं", एक शर्त के रूप में यह आवश्यक करती है कि "बैठक में गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित हो", 20 इलि. प्रशासन (Admin.) संहिता (इलि. कोड) 2900.110(c), 29 मई, 2020 तक स्थगित की जाती है।

सार्वजनिक निकायों, ऊपर सूचीबद्ध सहित, को जहां संभव हो सार्वजनिक व्यापार के विचार को स्थगित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब कोई मीटिंग आवश्यक होती है, तो सार्वजनिक निकायों को वीडियो, ऑडियो और / या टेलीफ़ोनिक पहुँच प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि जनता के सदस्य मीटिंग की निगरानी कर सकें, और जनता को पूरी तरह से अवगत रखने के लिए अपनी वेबसाइटों और सोशल मीडिया फीड को अपडेट कर सकें। COVID-19, साथ ही साथ COVID-19 से संबंधित उनकी गतिविधियों के कारण उनकी बैठक के कार्यक्रम या उनकी बैठकों के प्रारूप में कोई संशोधन।

कार्यकारी आदेश 2020-08 (राज्य संचालन सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑपरेशंस):

कार्यकारी आदेश 2020-08 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-09 (दूरस्वास्थ्य (टेलिहेल्थ)):

कार्यकारी आदेश 2020-09 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-11 (पूर्व कार्यकारी आदेशों के संशोधन; सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) अधिसूचना अवधि):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-11 के अनुभागों 3 और 4 को पुनः जारी किया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच; किशोर न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ जुवेनाइल जस्टिस) अधिसूचना अवधि; कोयला खनन अधिनियम (कोल माइनिंग एक्ट)):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-12 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-13 (काउंटी जेलों से सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) में दाख़िलों का स्थगन):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-13 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-14 (लेख्य प्रमाणक (नोटरी) एवं साक्षी संबंधी दिशानिर्देश):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-14 को जैसा नीचे संशोधन किया गया है, अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

अनुभाग 2. कोविड-19 (COVID-19) के प्रकोप से संबंधित राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) की अवधि के दौरान, इलिनॉय के कानून द्वारा आवश्यक किया गया साक्षी होने का कोई भी कृत्य, दोतरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ ढंग से पूर्ण किया जा सकता है, बशर्ते कि:

a. दोतरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार प्रौद्योगिकी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ("हस्ताक्षरकर्ता") और साक्षी के बीच दृष्टि और ध्वनि के द्वारा प्रत्यक्ष एवं समकालीन व्यवहार/बातचीत को संभव बनाती हो;
b. हस्ताक्षरकर्ता या हस्ताक्षरकर्ता के नामित व्यक्ति द्वारा दोतरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार प्रौद्योगिकी का कम-से-कम तीन वर्षों की अवधि तक अभिलेखन और परिरक्षण करना होगा;
c. हस्ताक्षरकर्ता को दोतरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार के दौरान इलिनॉय में भौतिक रूप से स्थिति होने का अनुप्रमाणन करना होगा;
d. साक्षी को दोतरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार के दौरान इलिनॉय में भौतिक रूप से स्थिति होने का अनुप्रमाणन करना होगा;
e. हस्ताक्षरकर्ता को दोतरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार पर स्वीकारात्मक ढंग से यह बोलना होगा कि हस्ताक्षरकर्ता किस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर रहा है;
f. साक्षी जिस दस्तावेज़ का साक्षी हो रहा है उसका प्रत्येक पृष्ठ, दोतरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार प्रौद्योगिकी पर साक्षी को स्पष्ट रूप से पठनीय ढंग से दिखाया जाना होगा और साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षरकर्ता को उस पर प्रथमाक्षर लिखने होंगे;
g. हस्ताक्षर करने के कृत्य को दोतरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार पर इतनी पास से दर्ज किया जाना होगा कि साक्षी उसे देख सके;
h. हस्ताक्षरकर्ता को संपूर्ण हस्ताक्षरित दस्तावेज़ की एक पठनीय प्रति <u>रातों रात मेल</u>, फ़ैक्स या इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से सीधे साक्षी को दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले दिन से अगला दिन समाप्त होने से पहले-पहले भेजनी होगी;
i. साक्षी को दस्तावेज़ की प्रेषित प्रति पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करना होगा और दस्तावेज़ की हस्ताक्षरित प्रति <u>रातों रात मेल</u>, फ़ैक्स या इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से वापस हस्ताक्षरकर्ता को प्राप्ति के 24 घंटों के अंदर भेजनी होगी; और
j. यदि आवश्यक हो तो साक्षी, हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मूल निष्पादन के दिनांक वाले मूल हस्ताक्षरित दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर सकता है, बशर्ते साक्षी को वह प्रति जिसका वह

इलेक्ट्रॉनिक ढंग से साक्षी था, और मूल हस्ताक्षरित दस्तावेज़, दूरस्थ ढंग से साक्षी होने के दिनांक से तीस दिनों के अंदर प्राप्त हो जाएं।

कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल संहिता (स्कूल कोड) के उपबंधों का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-15 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-16 (वाहनों को पुनः कब्जे में लेना; सुरक्षा सेवाओं के लिए कक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-16 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 (भांग (केनाबिस) संबंधी समय-सीमाएं एवं आवेदन):

कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 पुनः जारी किए जाते हैं और कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार प्रभावी रहेंगे।

कार्यकारी आदेश 2020-19 (स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों, पेशेवरों, और स्वयंसेवियों के लिए नागरिक (दीवानी) दायित्व से मुक्ति):

कार्यकारी आदेश 2020-19 को जैसा कि निम्न में संशोधन किया गया है, अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

अनुभाग 1. इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों से, निम्नलिखित शब्दों को नीचे वर्णित के अनुसार परिभाषित किया गया है:

a. "स्वास्थ्य देखभाल इकाइयां" का अर्थ है:
   i. किसी राज्य अभिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त, प्रमाणित, या अनुमोदित और निम्नलिखित द्वारा कवर होने वाली इकाइयां: 77 इलि. (Ill.) प्रशासन (Admin.) अनुभाग 1130.215(a)-(f); इलिनॉय विश्वविद्यालय अस्पताल अधिनियम (यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलिनॉय हॉस्पिटल एक्ट), 110 ILCS 330; वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी अधिनियम (ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर डिलीवरी एक्ट), 210 ILCS 3/35(2)-(4); आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं (EMS) प्रणाली अधिनियम (एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेस (EMS) सिस्टम्स एक्ट), 210 ILCS 50; या पूर्वसैनिक कार्य विभाग अधिनियम (डिपार्टमेंट ऑफ़ वेटरन्स अफ़ेयर्स एक्ट), 20 ILCS 2805;
   ii. राज्य-संचालित विकासात्मक केंद्र (डेवलपमेंटल सेंटर्स) जो संघीय मेडिकेयर एवं मेडिकएड सेवा केंद्रों (सेंटर्स फ़ॉर मेडिकेयर एंड मेडिकएड सर्विसेस) द्वारा प्रमाणित हैं, और लाइसेंसशुदा, राज्य-संचालित मानसिक स्वास्थ्य केंद्र (मेंटल हेल्थ सेंटर्स) जिनका गठन मानसिक स्वास्थ्य एवं विकासात्मक अशक्तताएं प्रशासनिक अधिनियम (मेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट), 20 ILCS 1705/4 के अनुसरण में किया गया है;
   iii. लाइसेंसशुदा समुदाय-एकीकृत जीवन-यापन व्यवस्थाएं, जैसी कि समुदाय-एकीकृत जीवन-यापन व्यवस्थाएं अनुज्ञापन एवं प्रमाणन अधिनियम (कम्युनिटी-इंटिग्रेटेड लिविंग अरेंजमेंट्स लाइसेंसिंग एंड सर्टिफ़िकेशन एक्ट), 210 ILCS 135/2 में परिभाषित हैं;
   iv. लाइसेंसशुदा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र (कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स), जैसे कि सामुदायिक सेवाएं अधिनियम (कम्युनिटी सर्विसेस एक्ट), 405 ILCS 30 में परिभाषित हैं;
   v. सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (सोशल सिक्यॉरिटी एक्ट), 42 U.S.C. § 1396d(l)(2)(B) के अंतर्गत संघीय रूप से अर्ह स्वास्थ्य केंद्र; ~~और~~
   vi. स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कर रहा कोई भी सरकार-संचालित स्थल जिसे कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप पर प्रतिक्रिया देने के प्रयोजन से स्थापित किया गया हो;

vii. इलिनॉय सार्वजनिक सहायता संहिता (पब्लिक एड कोड), 305 ILCS 5/5-5.01(a) के अनुसरण में इलिनॉय स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थकेयर एंड फ़ेमिली सर्विसेज़) द्वारा प्रमाणित सहयोगी निर्वाह इकाइयां; और,

viii. सहायित निर्वाह एवं साझा आवास अधिनियम (असिस्टेड लिविंग एंड शेयर्ड हाउसिंग एक्ट), 210 ILCS 9 के अनुसरण में DPH से अनुज्ञा (लाइसेंस) प्राप्त सहायित निर्वाह स्थापनाएं एवं साझा आवास स्थापनाएं।

"स्वास्थ्य देखभाल इकाई" एकवचन रूप है और इसका बहुवचन रूप "स्वास्थ्य देखभाल इकाइयां" है।

b. "स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर" का अर्थ उन सभी लाइसेंसशुदा या प्रमाणित स्वास्थ्य देखभाल या आपातकालीन चिकित्सा सेवा कर्मियों से है जो (i) कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप की प्रतिक्रिया में किसी स्वास्थ्य देखभाल इकाई में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं; या (ii) जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की प्रतिक्रिया में इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, IMEA) या DPH के निर्देशाधीन कार्य कर रहे हैं।

c. "स्वास्थ्य देखभाल स्वयंसेवी" का अर्थ उन सभी स्वयंसेवियों या चिकित्सा या नर्सिंग विद्यार्थियों से है जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जो (i) कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप की प्रतिक्रिया में किसी स्वास्थ्य देखभाल इकाई में सेवाएं, सहयोग, या समर्थन प्रदान कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं; या (ii) जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की प्रतिक्रिया में IMEA या DPH के निर्देशाधीन कार्य कर रहे हैं।

अनुभाग 8. अनुभाग 2 के प्रयोजनों से, इलिनॉय अस्पताल अनुज्ञापन अधिनियम (हॉस्पिटल लाइसेंसिंग एक्ट), 210 ILCS 85, के अनुसरण में अनुज्ञा (लाइसेंस) प्राप्त अस्पतालों द्वारा सहायता प्रदान किए जाने में, ऐसे किसी अन्य अस्पताल, जिनमें अस्पताल में भर्ती रोगी (इन-पेशेंट) शामिल हैं, और राज्य-संचालित इकाइयों (सामूहिक रूप से, "प्रेषक इकाइयां") किसी भी कोविड-19 (COVID-19) रोगी का स्थानांतरण स्वीकार करना शामिल होना चाहिए जिनके पास उस कोविड-19 (COVID-19) रोगी को उपचार प्रदान करने हेतु आवश्यक क्षमता एवं योग्यता नहीं है। ग्राही अस्पताल किसी भी कोविड-19 (COVID-19) रोगी के उक्त स्थानांतरण को स्वीकार करेगा बशर्ते उसके पास कोविड-19 (COVID-19) रोगी को उपचार प्रदान करने हेतु आवश्यक पर्याप्त क्षमता एवं योग्यता हो। किसी अस्पताल के पास कोविड-19 (COVID-19) रोगी को उपचार प्रदान करने हेतु आवश्यक पर्याप्त क्षमता एवं योग्यता है या नहीं इसका निर्धारण करने में, अस्पताल, न्यूनतम तौर पर, वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुशंसाओं की अनुरूपता में सुरक्षित एवं प्रभावी उपचार प्रदान करने की अपनी योग्यता, और उपलब्ध आपूर्तियों, स्टाफ़, एवं चिकित्सा शैया क्षमता को विचार में लेगा।

कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएं):

कार्यकारी आदेश 2020-20 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शन्स) के कैदियों का अवकाश):

कार्यकारी आदेश 2020-20 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-22 (टाउनशिप बैठकें; अंत्येष्टि निदेशक एवं शवलेपक अनुज्ञापन संहिता (फ़्यूनरल डाइरेक्टर्स एंड एम्बामर्स लाइसेंसिंग कोड); बाल देखभाल अधिनियम 1969 (चाइल्ड केयर एक्ट ऑफ़ 1969) के अंतर्गत स्थापन; स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच अधिनियम (हेल्थ केयर वर्कर बैकग्राउंड चैक एक्ट) के अंतर्गत अंगुलियों के निशानों की प्रस्तुतियां):

कार्यकारी आदेश 2020-22 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न अनुज्ञप्त (लाइसेंसशुदा) पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं वृत्तिक नियमन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन) द्वारा कार्रवाइयां):

कार्यकारी आदेश 2020-23 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) न्यायिक उपचार कार्यक्रम (फ़ोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम); इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) के कर्मचारियों की पड़ताल:

कार्यकारी आदेश 2020-24 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-25 (ऋणानुबंध (गारनिशमेंट) एवं वेतन कटौतियां):

कार्यकारी आदेश 2020-25 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-26 (अस्पताल की क्षमता):

कार्यकारी आदेश 2020-26 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-27 (कोविड-19 (COVID-19) परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):

कार्यकारी आदेश 2020-27 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-28 (औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रमाणन):

कार्यकारी आदेश 2020-28 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-29 (पेशेवर बीमा अनुज्ञापियों (लाइसेंसीज़) का आमने-सामने शिक्षण या परीक्षा):

कार्यकारी आदेश 2020-29 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-30 (आवासीय निष्कासन कार्रवाइयों की मिसिलबंदी (फ़ाइलिंग); ग़ैर-आवासीय निष्कासन आदेशों का प्रवर्तन; कालातीत (एक्सपायर) हो चुके दूतावासीय (कौंसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय मानवाधिकार आयोग (ह्यूमन राइट्स कमीशन) के लिए इलेक्ट्रॉनिक मिसिलबंदी (फ़ाइलिंग):

कार्यकारी आदेश 2020-30 को जैसा कि निम्न में संशोधन किया गया है, अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

अनुभाग 3. इलिनॉय राज्य के सभी राजकीय, काऊँटी, और स्थानीय क़ानून प्रवर्तन अधिकारियों को आवासीय एवं गैर-आवासीय परिसर में से निष्कासन के आदेशों के प्रवर्तन को रोकने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि किराएदार से अन्य किराएदारों के स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रत्यक्ष ख़तरा नहीं हो, संपत्ति को एक अव्यवहित या गंभीर ख़तरा नहीं हो, या किसी अनुप्रयोज्य निर्माण अधिनियम, स्वास्थ्य अध्यादेश, या इसी प्रकार के विनियम का उल्लंघन ना हुआ हो। इस कार्यकारी

आदेश में निहित कोई भी प्रावधान किसी भी व्यक्ति या संस्था को किराए का भुगतान करने, बंधक भुगतान करने, या किसी व्यक्ति या संस्था को ठेके या किराया समझौते या बंधक के अनुसरण में किसी अन्य दायित्व, के अनुपालन करने से छूट के रूप में नहीं समझा जाएगा। इस निर्देश की निरंतर आवश्यकता का मूल्यांकन किसी भी नई गवर्नर आपदा उद्घोषणा के निर्गमन पर किया जाएगा।

कार्यकारी आदेश 2020-31 (शिक्षक अनुज्ञा (लाइसेंस) स्वीकृति एवं नियमन तथा विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने संबंधी आवश्यकताएं):

कार्यकारी आदेश 2020-31 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी कया जाता है एवं **29 मई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

भाग 2: व्यावृत्ति खंड (सेविंग्स क्लॉज़)। यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

____

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),
राज्यपाल (Governor)

राज्यपाल द्वारा 30 अप्रैल, 2020 को जारी
राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा 30 अप्रैल, 2020 को दर्ज